कपूरी सिंह ठाकुर विरूद्ध रामसिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2707–दो/13 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.8.14	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा शाहगंज के प्रकरण क्रमांक 77/अ–27/11–12 में पारित आदेश दिनांक 6–5–13 से परिवेदित होकर म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करते हुए प्रकरण मूल आवेदन के जबाव हेतु नियत किया गया है । 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि विवादित भूमि में स्वतव का प्रश्न निहित हो चुका है तब उन्हें उभयपक्षों को स्वत्व के निराकरण हेतु आदेशित करना चाहिए था। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि अनावेदक क. 1 रामसिंह द्वारा बाला–बाला अवैधानिक रूप से पैत्रिक कृषि भूमि में आवेदकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाए एवं सूचना सुनवाई का अवसर दिये नामांतरण एवं बंटवारा करा लिया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । 3– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक 29–5–14 को लिखित तर्क पेश करने हेतु 15 दिवस का समय चाहा गया था, जो उन्हें दिया गया किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किए गए हैं । 4– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों का हवाला देते हुए आलोच्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन निरस्त किया गया है तथा प्रकरण मूल आवेदन के जबाव हेतु नियत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विधि संबंधी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप,भोपाल (म.प्र.)

राजस्व निग.क्र......................................./2013

R.2767-II/13

कपूरीसिंह ठाकुर आत्मज श्री सुंदरसिंह ठाकुर आयु वयस्क,
निवासी-परसवाड़ा कृषक शाहगंज तहसील बुदनी,
जिला-सीहोर (म.प्र.)

..................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रामसिंह आत्मज श्री सुंदर सिंह ठाकुर, आयु वयस्क
2. केतार सिंह आत्मज श्री सुंदर सिंह ठाकुर, आयु वयस्क
3. कमल सिंह आत्मज श्री सुंदर सिंह ठाकुर, आयु वयस्क
4. छोटीबाई बेवा श्री सुंदर सिंह ठाकुर, आयु वयस्क
5. तुलसाबाई पुत्री श्री सुंदरसिंह ठाकुर, आयु वयस्क
   निवासी-परसबाड़ा तहसील बुदनी जिला-~~रायसेन~~ (सीहोर)
6. म.प्र.शासन
   द्वारा-कलेक्टर, ~~रायसेन~~ (सीहोर)

......प्रतिउत्तरदातागण

27-6-13